

पंजीकृत पावती  
भारतसरकार  
खानमंत्रालय  
भारतीयखानब्यूरो  
क्षेत्रीयखाननियंत्रककार्यालय  
कर्मयोगीभवन, चतुर्थमाला, ब्लॉक-2, सीविंग,  
सेक्टर-10A, गांधीनगर, गुजरात, 382010



उल्लंघन पत्र  
Government of India  
Ministry of Mines  
Indian Bureau of Mines  
Office of Regional Controller of Mines  
Karmayogi Bhavan, 4<sup>th</sup> Floor, Block-2, C Wing,  
Sec10A, Gandhinagar, Gujarat-382010

Tel- 079 29750358 /29750359; ई-मेल/ E-mail:ro.gandhinagar@ibm.gov.in

पत्रावलीसंख्या: MCDR-MiFLOBXT/31/2022-GNR-IBM\_RO\_GNR

Mine code: 07GUJ07023

ID-191/23

दिनांक: 29.12.2023

सेवामें:

Shri Harjivan Purshotamdas Thanki,  
East Kadia Plots,  
Porbandar, 360575

Email:--[admin@rawmin.com](mailto:admin@rawmin.com), [calbaux@gmail.com](mailto:calbaux@gmail.com)  
Mobile:9687944842, 9824290919

विषय :गुजरात राज्य के जिला: देवभूमि द्वारका की तालुका-कल्याणपुर में स्थित आपकी महादेवीया बाक्साइट खदान, क्षेत्रफल -32.37 हेमें खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियमों का उल्लंघन

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का रिब्यू खनन योजना निरीक्षणअधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 04.11.2023 को श्री प्रवीण थांकी, प्रबन्धक और श्री के. एस. नागोरी, भूविज्ञानी की उपस्थिति में किया गया तथा उक्त निरीक्षण के समय खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के निम्नलिखित नियमों का उल्लंघन पाया गया-


नियम सं.	उल्लंघनों के प्रकारों का विस्तृत ब्यौरा
11(1)	No holder of mining lease shall commence or carry out mining operations in any area except in accordance with the approved mining plan. Whereas, in your case, it is found during inspection that the configuration layout of benches is not in systematic manner and not as per the proposed layout given in Plate 6 B of the approved Mining Plan document vide letter no. 684(4)(1)/MP-327(246)/2020-21 dated 19/03/2021.

- इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।
- खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम संख्या 11(1) तथा अन्य नियमों की पालना नहीं होने से व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक तरीके से खनन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। अतः उपरोक्त नियमों की पालना नहीं करने पर नियम 11(2) के अंतर्गत खनन क्रियाएं स्थगित (निलंबित) की जा सकती हैं अथवा राज्य सरकार को उचित कार्यवाही करने की अनुशंसा भी की जा सकती है।

०४. अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अति शीघ्र सुधार कर इसके सुधार की स्थिति की सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से ४५ (पैंतालिस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित करें।

०५. यह उल्लंघन पत्र क्षेत्रीय खान नियंत्रक के अनुमोदन पश्चात जारी किया जा रहा है।

भवदीय



सुनील कुमार शर्मा  
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो

प्रतिलिपि (मूल पर नहीं) -

१. खान नियंत्रक (उत्तर), भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर को सूचनार्थ प्रेषित।
२. आयुक्त, भू विज्ञान एवं खनन, गुजरात सरकार, खण्ड- १, सप्तम तल, उद्योग भवन, गांधीनगर -सूचनार्थ प्रेषित।
३. रक्षित पत्रावली।

भवदीय

सुनील कुमार शर्मा  
वरिष्ठ सहायक खान नियंत्रक  
भारतीय खान ब्यूरो